

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 247/2023/ सरफैसी

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कार्यालय वेस्टर्न एज आई. मेट्रो केश एवं केरी के
उपर बोरिवली ईस्ट, मुम्बई ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह जाति राजपूत निवासी 40, डोडियावास, रठाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राजस्थान) पिन नम्बर -313204
2. श्री भुरू सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 40, डोडियावास, रठाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राजस्थान) पिन नम्बर -313204
3. श्री किशन सिंह पुत्र श्री उडाई सिंह जाति डांगी निवासी ग्राम 12, रठाणा, मावली, जिला उदयपुर (राजस्थान) पिन नम्बर -313204

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री रवि चितौडा अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 08-01-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 5,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (श्री भेरूसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपुत की सम्पति जो पट्टा संख्या 52382, मिसल संख्या 31, बुक संख्या 13, ग्राम पंचायत नूरडा, रठाणा, मावली, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, मवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसका माप लगभग 1600 वर्ग फिट है-चतुर्थ सीमाएं-पूर्व में स्वयं की जमीन एवं श्री मोहन सिंह पुत्र श्री रूप सिंह का मकान, पश्चिम में-स्वयं की जमीन एवं श्री शंभुसिंह पुत्र श्री नाहर सिंह का मकान, उत्तर में-आम रास्ता, दक्षिण में- श्री लालसिंह पुत्र श्री अभय सिंह का मकान।) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 07.04.2022 तक 7,32,106/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने

जिला कलक्टर
उदयपुर

अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 07.04.2022 तक 7,32,106/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (श्री भेरूसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपुत की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 52382, मिसल संख्या 31, बुक संख्या 13, ग्राम पंचायत नूरडा, रठाणा, मावली, जिला उदयपुर राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1600 वर्ग फिट है—चतुर्थ सीमाएं—पूर्व में स्वयं की जमीन एवं श्री मोहन सिंह पुत्र श्री रूप सिंह का मकान, पश्चिम में—स्वयं की जमीन एवं श्री शंभुसिंह पुत्र श्री नाहर सिंह का मकान, उत्तर में—आम रास्ता, दक्षिण में— श्री लालसिंह पुत्र श्री अभय सिंह का मकान।) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर